

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 660/2010

संस्थित दिनांक-26/10/2010

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1.भूरा गुर्जर पुत्र जवर सिंह गुर्जर आयु 40साल  
निवासी ग्राम आलौरी थाना गोहद, जिला भिण्ड {पूर्व से निराकृत}

2.घोडा उर्फ ब्रजमोहन पुत्र रामचरन गुर्जर  
निवासी लक्ष्मणगढ थाना महाराजपुरा, जिला ग्वालियर

3.करु पुत्र रामचरन गुर्जर उम्र 39 साल {फरार}  
निवासी लक्ष्मणगढ, थाना महाराज पुरा, जिला ग्वालियर.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

**{आज दिनांक 27.03.17 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 336, 353 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.03.10 को रात्रि 9:30 बजे ग्राम छरेंटा का हार में कट्टे से उपेक्षापूर्ण ढंग से फायर कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा थाना प्रभारी गोहद अमरनाथ वर्मा जो कि एक लोकसेवक होकर एक बुलैरो गाडी क्र0 एम0पी0-03-7944 को तलाशी हेतु उसका पीछा कर रहा था, उस समय उसे भयोपरत करने के आशय से कट्टे से फायर कर लोक सेवक के कर्तव्यों में बाधा पहुंचाई।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्त क्र0 3 के अनुपस्थित रहने के कारण उसके फरार घोषित होने, अभियुक्त क्र0 1 के संबंध में पूर्व में निर्णय पारित होने से इस निर्णय द्वारा अभियुक्त क्र0 2 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना प्रभारी गोहद अमरनाथ वर्मा दिनांक 08.03.2010 को कस्बा गस्त हेतु ए0एस0आई0 प्रकाश सिंह भदौरिया, प्रधान आरक्षक राजकुमार यादव आरक्षक ओमवीर सिंह, आरक्षक परमानंद हमराह कस्बा गस्त को शासकीय वाहन एम0पी0 03-7944 से गए थे। वाहन को सुनील शर्मा चला रहा था। जेल रोड पर पहुंचे वैसे ही सामने से एक काले रंग की बुलैरो गाडी जेल रोड तरफ से आई और पुलिस वाहन को देखते ही तेजी से तलैया की ओर मोड़ दी, जिसे संदेह के आधार पर रोका, तो वाहन और तेज भगा दिया। गाडी में तीन लड़के ड्राइवर के अतिरिक्त दिखाई दिए। पीछा करते हुए मैन रोड पर आते ही खरौआ की ओर मुड़ गई। सायरन देने पर और तेज भगाई। पुलिस को भयभीत करने के लिए उक्त गाडी में बीच की सीट पर बैठे एक

लड़के ने फायर किया । लगातार पीछा करने पर गाड़ी खरौआ होकर कच्चे रास्ते में अधिक धूल उड़ने व रात्रि होने से दूरी बढ़ गई जिसका लाभ लेकर उक्त वाहन में बैठे हुए व्यक्ति भाग गए। नहर के पास वाहन खड़ा मिला । चैकिंग करने पर बुलैरो रजिस्ट्रेशन नं० एम०पी० ०६ सी०ए० ०४४७ में दो जरकिन व प्लास्टिक की थैली में दवाइयां आदि बरामद की गई हैं। थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 56/2010 पंजीबद्ध किया गया । दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। वाहन की जांच कराए गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया। वाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तार की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा उसके निर्दोष होने एवं पुलिस द्वारा झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 08.03.10 को रात्रि 9:30 बजे ग्राम छरेंटा का हार में कट्टे से उपेक्षापूर्ण ढंग से फायर कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने थाना प्रभारी गोहद अमरनाथ वर्मा जो कि एक लोकसेवक होकर एक बुलैरो गाड़ी क्र० एम०पी०-03-7944 को तलाशी हेतु उसका पीछा कर रहा था उस समय उसे भयोपरत करने के आशय से कट्टे से फायर कर लोक सेवक के कर्तव्यों में बाधा पहुंचाई ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अमरनाथ वर्मा अ०सा० 1, ओमवीर अ०सा० 2, गुट्टी शर्मा अ०सा० 3, आर०के० यादव अ०सा० 4, सुनील शर्मा अ०सा० 5, परमानंद अ०सा० 6, प्रकाशसिंह भदौरिया, अ०सा० 7, आर०बी०सिंह वैस आ०सा० 8, अजयसिंह उर्फ गुड्डू भदौरिया आ०सा० 9, को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गयी। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. अमरनाथ वर्मा अ०सा० 1 अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 08.03.2010 को थाना गोहद में निरीक्षक के पर पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कस्बा गस्त पर ए०एस०आई० प्रकाश सिंह, प्रधान आरक्षक राजकुमार यादव आरक्षक, ओमवीर सिंह एवं आरक्षक परमानंद के साथ शासकीय वाहन से गए थे, जिसे सुनील शर्मा चला रहा था। वे वाहन से जेल रोड पर पहुंचे तो सामने से एक बुलैरो काले रंग की आती हुई दिखी, जिसको रोकने का प्रयास किया तो वह तलैया की ओर मुड़ गई। संदिग्ध होने के कारण वाहन का पीछा किया तो पीछा करते हुए मैन रोड खरौआ के पास आ गए । वाहन का सायरन बजा कर रोकने का प्रयास किया। यह भी कथन करते हैं कि उक्त वाहन में

तीन लड़के बीच की सीट पर बैठे थे, जिनमें से किसी एक ने खिड़की से बाहर हाथ निकालकर भयभीत करने के लिए हवाई फायर किया तो वे लोग पीछे चले गए। ग्राम छरेंटा की तरफ गाड़ी छोड़कर उसमें बैठे अज्ञात बदमाश भाग गए। मौके पर उक्त गाड़ी नं० एम०पी० ०६ सी०ए० ०४४७ जिस पर जनपद सदस्य मुरैना लिखा था, उसे जप्त किया जप्तीपत्रक प्र०पी० १ पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। तत्पश्चात् थाने पर लाकर प्राथमिकी प्र०पी० २ पंजीबद्ध किया जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार साक्षी द्वारा कथित मामला अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है।

8. इसी प्रकार से प्रकरण में साक्षी ओमवीर सिंह अ०सा० २, आ०के० यादव अ०सा० ४, सुनील शर्मा अ०सा० ५, परमानंद अ०सा० ६ के द्वारा एक काले रंग की बुलैरो में सवार तीन व्यक्तियों द्वारा जेल रोड पर पुलिस का सामना होने पर तलैया की ओर मुड़ जाने तथा बाद में मैन रोड होते हुए खरौआ रोड पर नहर के पास उक्त बुलैरो गाड़ी छोड़कर भाग जाने के संबंध में कथन किए गए हैं। आ०के० यादव अ०सा० ४ तथा सुनील शर्मा अ०सा० ५ द्वारा जप्तीपत्रक प्र०पी० १ बनाये जाने, जिस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। इस मामले में अभियोजन के सभी साक्षियों द्वारा किसी भी अभियुक्त को देखा या पहचाना नहीं है, ऐसा कोई भी कथन नहीं किया है, मात्र अभिकथित रूप से काले रंग की बुलैरो एम०पी० ०६ सी०ए० ०४४७ में सवार व्यक्तियों के द्वारा हवाई फायर करने का कथन किया गया है। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला परिस्थिति जन्य साक्षियों की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है।

9. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता आ०बी० सिंह वैस अ०सा० ८ का कथन महत्वपूर्ण है, जो यह कथन करते हैं कि उन्हें दिनांक ०८.०३.२०१० को संबंधित अपराध की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उन्होंने अभियुक्त भूरा से अपराध में पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम धारा २७ साक्षी गुट्टी शर्मा एवं अजयसिंह उर्फ गुड्डू भदौरिया के समक्ष तैयार किया था, जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। साथ ही उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के आधार पर उसे फॉर्मल गिरफ्तार किए जाने के संबंध में गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० ५ बनाए जाने, जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। कथन में मेमोरेण्डम प्र०पी० ४ तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० ५ का साक्षी गुट्टी शर्मा अ०सा० ३ अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त भूरा को न जानने का कथन करते हैं और घटना के संबंध में कोई भी जानकारी होने से इंकार करते हैं। प्रकरण में साक्षी मेमोरेण्डम प्र०पी० ४ पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है पर उसमें लिखित तथ्यों के संबंध में इंकार करता है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्नों में पूछे जाने पर उसके समक्ष अभियुक्त द्वारा मेमोरेण्डम प्र०पी० ४ के तथ्यों से इंकार किया। अन्य साक्षी अजयसिंह उर्फ गुड्डू भदौरिया भी अभियुक्त को नहीं जानता और न ही उसके समक्ष कोई

मेमोरेण्डम लिए जाने व अभियुक्त से कोई जानकारी प्राप्त होने के संबंध में कोई भी कथन किया गया है। इसी प्रकार से प्र०पी० 4 व प्र०पी० 5 के संबंध में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा कोई अभिपुष्टि नहीं की गई है।

10. प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अमरनाथ अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में जप्तीपत्रक प्र०पी० 1 के अनुसार जप्ती घटना स्थल से किया जाना बताया है। उक्त जप्तीपत्रक किसी व्यक्ति विशेष के आधिपत्य से नहीं की गई है। साथ ही स्वयं जप्तीपत्रक जो प्राथमिकी प्र०पी० 2 से लेखबद्ध किये जाने से पहले निष्पादित किया जाना बताया है। उक्त जप्तीपत्रक में कॉलम नं० 1 में अपराध कं० अंकित है, जबकि अपराध जप्ती के समय से करीब 1:30 घण्टे पश्चात् पंजीबद्ध किया गया। ऐसे में कथित जप्तीपत्रक प्र०पी० 1 स्वयं ही संदेहपूर्ण है। जप्तीपत्रक के आधार पर कोई भी व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता का साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। घटना दि० 08.03.2010 बताई गई है, जबकि मेमोरेण्डम प्र०पी० 4 अनुसंधानकर्ता आर०बी० सिंह वैस अ०सा० 8 अभियुक्त से लिया जाना बताते हैं। उक्त मेमोरेण्डम अभिकथित घटना से करीब 6 माह पश्चात् का है। ऐसे में उनके द्वारा किस आधार पर अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता का आधार पाया गया, इसकी सुसंगत श्रृंखला अभिलेख पर नहीं है।

11. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपराध के अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित किए जाने योग्य नहीं होती है, किंतु इसका अपवाद अधिनियम की धारा 27 में उपबधित है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जावेगी- “परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद् द्वारा पता चले तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

12. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर सर्वप्रथम यह तथ्य कि अभियुक्त भूरे के संबंध में अनुसंधानकर्ता आर०बी० सिंह वैस के द्वारा किस अपराध में अभियुक्त के अभिरक्षा अधीन रहते हुए उसका कथन लिया गया इस संबंध में कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं है। द्वितीयतः कथित मेमोरेण्डम के किस स्वतंत्र साक्षी द्वारा उसका समर्थन नहीं किया गया है। तृतीयतः कथित मेमोरेण्डम प्र०पी० 4 के आधार पर अभियुक्त से कोई तथ्य पता चला हो। ऐसा अभिलेख पर नहीं है। ऐसा तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि अभियुक्त से अभिकथित काले रंग की बुलैरो के माध्यम से अपराध किये जाने के तथ्य के संबंध में मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य संस्वीकृति की कोटि में आते हैं, इस कारण से वे अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं। जहां तक कि वाहन काले रंग की बुलैरो नं० एम०पी० 06 सी०ए० 0447 की जप्ती का प्रश्न है तो उक्त वाहन अभियुक्त के निशानदेही



पर जप्त नहीं हुआ है, बल्कि खुले स्थान पर जप्त किया गया है। खुले स्थान पर जप्ति के संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायादृष्टांत **STATE OF H.P./s.JEET SINGH AIR 1999 SC 1293 :1999 (4) SCC 370** की ओर आकर्षित होता है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया-

**para26.** There is nothing in Section 27 of the Evidence Act which renders the statement of the accused inadmissible if recovery of the articles was made from any place which is "open or accessible to others". It is a fallacious notion that when recovery of any incriminating article was made from a place which is open or accessible to others it would vitiate the evidence under Section 27 of the Evidence Act. Any object can be concealed in places which are open or accessible to others. For example, if the article is buried on the main roadside or if it is concealed beneath dry leaves lying on public places or kept hidden in a public office, the article would remain out of the visibility of others in normal circumstances. Until such article is disintered its hidden state would remain unhampered. The person who hid it alone knows where it is until he discloses that fact to any other person. Hence the crucial question is not whether the place was accessible to others or not but whether it was ordinarily visible to others. If it is not, then it is immaterial that the concealed place is accessible to others.

And also follow same principal in **State of Maharastra vs. bharat fakira dhivar AIR 2010 SC 16**

13. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता प्रकाश सिंह भदौरिया अ0सा0 7 ने नक्शामौका प्र0पी0 3 बनाए जाने का कथन करते हुए उसपर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। अमरनाथ वर्मा अ0सा 1 ने उक्त जप्तीपत्रक प्र0पी0 3 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों ने जप्तीस्थान सार्वजनिक मार्ग के किनारे होना बताया है और वहां आवागमन होना भी बताया है। ऐसी दशा में अभियुक्त भूरे से घटना के लगभग 6 माह पश्चात् प्र0पी0 4 के माध्यम से तथ्य की जानकारी उपरोक्त न्यायदृष्टांत-**STATE OF H.P./s.JEET SINGH AIR 1999 SC 1293 :1999 (4) SCC 370** के प्रकाश में कोई भी महत्व नहीं रखती है। तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को पूर्णतः संदेहास्पद कर देती है। प्रकरण में प्राथमिकीकर्ता अमरनाथ अ0सा0 1 तत्कालीन निरीक्षक एवं अनुसंधानकर्ता प्रकाश सिंह भदौरिया अ0सा0 7 व आर0बी0 सिंह वैस अ0सा0 8 ने भी अभिकथित बुलैरो एम0पी0 06 सी0ए0 0447 की अपराध से संबंधता व वह किस प्रकार से अभिकथित अज्ञात आरोपियों के पास आई इस संबंध में कोई भी तथ्य अभियोगपत्र पर नहीं हैं, जिसके आधार पर परिस्थिति जन्य साक्षियों की सुसंगत श्रृंखला पूर्ण होती हो। ऐसी दशा में अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता प्रश्नचिह्नित हो जाती है। प्रकरण में अभियोजन साक्षी के कथनों में उनके कस्बा भ्रमण हेतु थाने से रवाना होने के कथन परस्पर विरोधाभासी होने से संदेहप्रद हैं।

14. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त घोड़ा उर्फ ब्रजमोहन के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 08.03.10 को रात्रि 9:30 बजे ग्राम छरेंटा का हार में कट्टे से उपेक्षापूर्ण ढंग से फायर कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा थाना प्रभारी गोहद अमरनाथ वर्मा जो कि एक लोकसेवक होकर एक बुलैरो गाडी क्र0 एम0पी0-03-7944 को तलाशी हेतु उसका पीछा कर रहा था, उस समय उसे भयोपरत करने के आशय से कट्टे से फायर कर लोक सेवक के कर्तव्यों में बाधा पहुंचाई। अतः अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 353, 336 के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते हैं, अभियुक्त संदेह के आधार पर दोषमुक्त का पात्र हैं। अतः अभियुक्त **घोड़ा उर्फ ब्रजमोहन** को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त जेल में हैं। अतः उसके जेल वारंट पर नोट लगाया जावे कि अभियुक्त को इस प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया है, यदि अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलंब छोड़ा जावे।

16. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में अंतिम निष्कर्ष शेष अभियुक्त के संबंध में निर्णय के समय किया जाएगा।

17. अभियुक्त की निरोधावधि यदि हो तो प्रमाणपत्र बनाया जावे।

18. प्रकरण के मुख्यपृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाए कि अभियुक्त फरार है अतः प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

सही / -

ए0के0 गुप्ता

ए0के0 गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश